# भारत का The Gazette of India <br> असाधारण <br> EXTRAORDINARY <br> भाग III-खण्ड 4 <br> PART III-Section 4 <br> प्राधिकार से प्रकाशित <br> PUBLISHED BY AUTHORITY 

 राजपत्रभारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
अधिसूचना
लखनऊ; 24 जनवरी, 2012
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (स्टाफ ) [संशोधन] विनियमावली, 2011
एफ. सं. मासंविवि सं. 3716 /स्टाफ सामान्य (2).- भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 (1989 का 39) की धारा 52 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय लघु उ़द्योग विकास बैंक का निदेशक बोर्ड एतद्वारा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (स्टाफ) विनियमावली, 2001 में निम्नलिंखित संशोधन करता है :-

1. इन विनियमों को भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (स्टाफ) [संशोधन] विनिगमावली, 2011 कहा जाएगा और वे इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख मे प्रभावी होंगे ।
2. विद्यमान विनिमय 3 के उप-विनियम (ठ) को विनियम 3 के उप-विनियम (क) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा।

3 विद्यमान विनिमय 3 के उप-विनियम (क), (ख), (ग) (घ) तथा (ङ) को विनियम 3 के उप-विनियम (ख), (ग), (घ), (ङ) तथा (च) के रूप में संख्यांकित किया जाएगा।
4. विद्यमान विनिमय 3 के उप-विनियम (च) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा :
"3(छ) "सक्षम प्राधिकारो" से इससे संलग्न अनुसूची में अनुशासनिक प्राधिकारी तथा अपीलीय प्राधिकारी के रूप में विनिर्दिष्ट प्राधिकारियों के अलावा इन विनियमों के प्रयोजन के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित प्रत्यायोजित प्राधिकारी अभिप्रेत है ;
5. विनियम 3 में उप-विनियम (छ) के बाद निम्नलिखित उप-विनियम (ज) अंतःस्थापित किया जाएगा : " 3 (ज)
 में विनिधिट कोई दंड लगाने होतु सक्षम है और इन विनियकों के अध्याय IV के अंतर्मत विनिर्दिष्ट प्रयोजनो हेतु प्रत्यायोजित थाधिकारी है।
 अंतर्गत विनिद्धिन प्रयोजन हतु फ्रत्याय्योजित प्राधिकारी है।
6. वियमान विनिमय 3 के उप-विनियक (उ), (ज). (झ). (ञ) तथा (ट) को विनियम 3 के उप-विनियम (झ), (अ), (ट), (ठ) तथा (ड) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जएगा।
7. विनियम 3 के पुनःसंख्यांकित उप-विनियम (5) के बाद निम्नलिखित उप-विनियम (द) तथा (ण) अंतः स्यकित किए आएंगे : "3(द) "लोक सेवक" से आशय भारतीय दंड संह्लित ( 1860 का 45) की धरा 21 मे लोक सेकेक के रूप में परिभषित व्यक्ति है:

3(ण) "अनुसूची" से आशय इ़ विनियमों से संलग्न अनुसूयी है."
8. विनियम 3 के विधमान $3 प$-विनियम (उ) सथा (ढ) को विनियम 3 के 34 -विनियम (त) और (थ) के स्प मे पुनःसंख्यांकित किया जाएगा।
9. विनियम 5 के अंतर्गत दिए गए शब्दों "विनियम $20,21,46$ और 48 " को "विन्नियम 20 और $21^{\circ}$ से प्रतिस्यापित किच्य जाएगा।
10. विनियम 7 के उप-विनियम (1) के अंतर्गत दिए गए शब्दों औरी ।. अधिकरीं के बाद नलेम्नलिखेत को अंतः स्थापित विच्या जाएगा
(निजी सचिय/ कार्यफलक सचिय. सहायक्क प्रघ्धक य्रेड ए, प्रबंधक बेड बी, सहायक महमूबंधक येड सी, डप यहाप्रबंधक तो की, महाप्रयंधक ग्रेड ईे. मुख्य महाप्रबंधक ग्रेड एफ, कार्यापक निदेशक अथवा अन्य ऐसे नाम/पदनाम जो समय-समय पर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा निर्णात किए जाएं।)
11. विनियम 20 के उप-विनियम (1) में दिए गए शब्द "अधिकारी के मासले में अध्व्यक्ष और अन्य मामलों में मुख्य महाप्रबधक को" और "अध्यक्ष अथवा मुष्य महाप्रबंधक" को "खक्षम प्राधिकतरी" शव्द से प्रतिस्थापित किन्या जाएगा।
12. विनियम 20 के उप-विनियम (2) के आरंभ में निम्नलिखित परतुक जोडा जाएना :
"जहॉँ लघु उदोग बैंक इस वात से सतुप्ट है कि किसी कमयारी का कार्यनिष्पादन असंतोषजनक अयवा अपर्याप्त है अथका उसकी मत्यनिका के विषय में वास्तविक सदेह है अयवा उसे सेवा मे बहाए रखना लघु उदोग वैक के हितो के प्रत्कूक्ल होगा उपर उहॉँ अनुशासनिक प्रकिया के अनुसार उसकें विरेद्ध कारवाई करना संभव या समीचीन न हो-

13 विनियम 20 के उप-विनियम (2) के अत्तम मे निम्नतिक्तित्त परतुक जोड़ा जारगा:
अऔर यह मी कि प्रभावित कमधारी इस विनियम के अंतमरत पारित अदेश के विस्द अपील करने का हकदार होगा. जो वह लघु उदोग वैक के निदेशक बोड को $4 S$ दिल के भीत्र कर सकेगा। यदि अपील स्वीकार कर ली जाती है तो इस विनियम के अतगतत उत आदेश रह माना जाएगा।

और यह भी कि जहा किसी कमचारी की सेवाएं समात कर दी गई़ हैं और जिसे नोटिस अवधि के बदले तीन माह के मूल वेतल की राशि का रादाय कर दिया गया है और अपील करने पर उसकी सेव-समासि को रह कर दिया गया है, तो तोटिस अवधि के बदले उसे संदत्र राशि के उस वेतन में समाय़जित किया जाएया. जो सेवा समास न किए जाने की स्थिति मे वह पाता और वह लघु उवोग वैक की सेवा मे उन्ही शती पर इस प्रकार कार्य करता रहेगा, मातो सेवा-समासि का आदेश पारित ही नही किया गया हो) :

जिस कर्मचारी की सेवाऐं इस विनियम के अधीन समात्त की जाएंगी उसे येष्युटी, भविष्य निधि, नियोता के अंशदान माहेत. उतर ऐसे अव्य सभी स्वातिवृति ताओं का रांदाय किया जाएवा. जो उसे अनुजेय हों।"
14. विनिमय 21 कें उप-विनेयम (2) के अंत मे लिम्नालिखित पंतुंक जोड़ा जाएगा
" परतु यह भी कि किसी कम्मधारी को. अधियर्षिता की तररीख गो वहल. सेवानिवृंड करते रो पूर्ध कम से कम तीन महीने को नोटिस लिखित रुप में अयवा तीन गहीने के क्तेत के समाल़्य राशो डसा कमेचारी को दी जाएगी।



 मानल आदेश पारित नल⿵冂卄 बित्र था＂

15．विनियन 21 के उप－विनियल（9）में दिए गर शब्द अध्यक्ष को अनुएलसलिक प्राणिकरी शब्द से प्रतिस्थापित किया जाएगा। विनियक्ज 21 के उप－विनियन 9 के अंतर्मत स्पसेबरण पंत्ति 2 में दिए गर शम्द यिनियन 45 अयया विनियम 46 के उप－ विनियम（5）के अंतर्मत＇को यिलोधित किच्या जाएगा। इसके अतिरिक．टिनियम 21 के 34 －विनियम 9 के अंतर्गत म्पहीकरण की पंशति 5 में दिए गए शद्व＇विलियक 46 ＇को＇वितियल 47 ＇से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

16．विनियम 23 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएक्म ：
＂23－ 2 सिज्ता

 उसेन 粞 निर्जारित करे।
（2）किसी ोड अयवा स्केल में किसी अपिकारी की यरिछता की गणना उस ोड अथवा स्केल मे उसके स्थायीकरण की तारीख्य के संदर्म में को जाएगी। उस्ें होे दो या दो से अचिक अधिकारी है．जिनकी उस येड अयवा स्केल मे सेया अयधि

 हो，में उनवे यरिछ्ता के संदर्भ में की ज्ञएती।


 उनके कर्यक्रण की तरीख्य को ध्यन में रखकर की जाएती ；यदि करर्यकहण की त्ररीज क्षलन है．तो वरिहतम 5 का
 अन्य ऐसे क्रिरकों，जो उचित समझ़े जाएं，के आधार पर यरिष्टा का निर्णय करेगा।
（5）यदि किमी कर्मधारी की परिगीक्षा बढ़ा दी गई है．तो उसकी यरिछता उस ग्रेड अथवा स्केल में अंतिग स्थायीफृत कर्मचारी के ठीक तीये परिगणित को जाएगी।
（6）वह कर्मचारी का उत्तरदायित्व होगा कि किसी हुदि，जो वह वरिषता सूची में देखे，की ओर तत्काल ध्यान आरर्षित करे।
 अधिक्वरी परिघ्यु／प्रशिब्नु की यरिठता，अपिकारी प्रशिष्बु／प्रशिब्बु के रूप में उसकी नियुक्ति की शर्तो के अनुसार निर्धारित／ निखित की जाएगी।

17．विनियस 31 के निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएना ：

## 

（1）ऐसम कोई मी कर्मयारी，जो औषोगिक वियाद अधिनियम 1947 की परिभाषा के अनुसार कामगार नहीं है．लघु उदोग यैक के कर्मयरियों，उो उत अधिनियन के अर्थ में कामगार है，की किसी ट्रेड य्नियन अथवा ऐसी ट्रेड युनियनों के किसी परिसंघ का सदस्य या पद्रधिकरी नहीं होगा अथया नही बना रहेगा अथवा उनसे प्रत्यक्ष या अप्तत्यक्ष रूप से संबद्ध नही लेगा अथया नही बना रहेगा：
（2）उच्चतर बेड या पद．जो उपरिउल्लिख्त कामगार का बोड या पद नहीं है，पर स्थानापन्त रूप में कार्य कर रहे कर्मयरी के संबंध में भी यह्ठ विनियम तब तक लागू होगा．उब्य तक ऐसा कर्मचारी छस इच्चाचर ग्रेड या पद पर स्थानापन्न रूप में कार्य करेगा।

 मामलों के संबंध में किसी हिंसक, अशोभनीय अथवा अभद्र पदर्शन में आाग लग॥
18. विनियम 36 के उप-विनियम (2) मों दिया गया शब्द 'राक्षम प्राधिकारी' को अनुशारासिक प्राधिकारी शब्द रो प्रतिर्यापित किया जाएगा।
19. विनियम 36 के उप-विनियम (3) के वाक्य "ऐसे अन्य दंड जो राक्ष़्र प्रतिधिकारी आधिरोपित F: ति :बि। साझे" मो दिए गए शब्द 'सक्षम प्राधिकारो' को 'अनुशासनिक प्राधिकारी' शब्द से प्रतिस्थापित किया जाएयाँ।
20. विनियम 44 के बाद निम्नलिखित विनियम 45 उन्न स्थापित किया जाएँा
"45-कार्यस्थल पर यौन उत्पी़नन का प्रतिषेच
कोई कर्मचारी कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के किसी कार्य गे मतग,। हिी होगा।

स्पहीकरण - इस नियम के प्रयोजान के लिए यौन उत्पीड़न में यौन आधारित उप्रिय ब्यवद्धार (जा़े पत्यक्रा रूप से हो
अथवा अन्यथा) शामिल है. जैसे
(क) शारीरिक सपक तथा चेटाएं
(ख) यौन अनुगह की मॉग या अनुरोध
(ग) यौन सबरी टिप्पणियाँ:
(घ) अल्लील सामगी दर्शाना: अथवा .
(ङ) यौन प्रकृति का अन्य कोई अप्पिय शारीरिक, मौखिक अथवा गैर माखिक अापरण "
21. मौज़दा विनियम 45 को विनियम 46 के रूप में पुन स्ड़्याकित किया जाएगा और उसका पुननामकरण "तिलंबन" के रुप में किया जाएगा। इसके अतिरिक, उसके उप-विनियम (1) को निम्नलिखित उप विनियम से प्रतिस्थापित किया जाएगा

## " 46- निलंबन

(1) (i) किसी कर्मचारी को सक्षम प्राधिकारी द्वारा निलंबित किया जा सकता है:
(क) जहॉ उसके विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही अनुध्यात अथवा लबित हो. अथवा
(ख) जहॉँ उसके विरुद्ध किसी दांडिक अपराध से संबधित मामता अन्वेषण, जाँच अथवा न्याल क अधीन हो।
(ii) कोई कर्मचारी अनुशासनिक प्राधिकारी के आदेश से निम्नवन निलंखित सगड़ा जाएगा।
(क) उसे लिरुद्ध किए जाने की तारीख से, यदि उसे अड़तातीस ध, ती यधिक की अवीले का दिय आभिरक्षा में निरुद्ध किया गया है. चाहे आपराधिक आरोप में या अन्यथा:
(ख) दोषसिद्धि की तारीख से. यदि किसी अपराध हेतु दोषसिद्धि की स्थिति में उसे अइतालीस घटे से अधिक के कारावास की सजा सुनाई जाती है और ऐसी' दोषसिद्धि के परिणामस्वरूप 3से तत्क़ल बर्बास्त नहीं किया जाता है• अथवा हटटाया नहीं जाता है अथवा अनिवार्यतः सेवानियृत्त नंहीं किया जाता है।

स्पपहीकरण इस उप-विनियम के खंड ।(ii)(ख) में निर्दिए अड़तालीस घंटे की अवधि की गणना दोषसिद्धि के बाद कारावास आरंभ होने से की जाएगी और इस प्रयोजन के लिए कारागर की आंतरायिक सदधियाँ. यदि काई हो, हिसाब में ती जाएगी।
(iii) जहां किसी निलंकित कर्मचारी पर अधिरोपित सेवा से बखास्तगी. हटाए जाना अथवा मानेवाये स्वानिवृति का दंड इन विनियमों के अंतर्गत अपील में अपास्त कर दिया जाता है और मागले को आगे जाँच सथवा कारवाई हेतु अथवा किन्ही निर्देशों के साथ प्रेषित कर दिया जाता है, तो उसके निलंबन का आदेश बर्खास्तगी; हटाए जान अथना अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मूल आदेश की तारीख को और उस तारीख से निरंतर लागू रहा समझा जाएगा और अगले आदेशो तक लागू रहेगा।
(iv) जहां किसी निलबित कर्मचारी पर अधिरोपित सेवा से बर्खास्तगी. सिटाए जाना अथवा उईनिवार्य सेवानिवृति का दड किसी न्यायालय के निर्णय द्वारा अथवा उमक परिणामस्वरूप अपास्त कर दिया जाता है अथववा शून्य घोषित कर दिया
 विरूद्ध उन आरोपों, जिनके लिए सेवा से बसास,अओ रटाए जाने अथवा अनिवार्य रोवानिवृत्ति का दंड मूलतः अधिरोपित किया गया था, पर आगे जांच कराने का निण्रय करता हैं, तो कर्मचारी बर्खास्तमी. हटाए जाने अथवा अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मूल आदेश की तारीख से अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा निलंबित किया गया समझा जाएगा और अग्गले आदेशों तक निलंबित रहेगा।
(क) इस विनियम के अंतर्गत दिया गया अथवा दिया गया माना गया निलंबन आत्देश तब तक लंगू बता रहेगा, जब तक कि उसे अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा संशोधित या प्रतिसंहृत नहीं कर दिया जाता।
(ख) इस विनियम के अंतर्गत दिया गया अथवा दिया गया माना गया निलंबन आदेश किसी मी समय उस प्राधिकारी द्वारा सशोधित या प्रतिसंहत किया जा सकता है, जिसने उक्त आदेश दिया हो या जिसके द्वारा उक्त आदेश दिया गया माना गया हो।

ऐसी अवधि के संबध में. कर्मचारी को वह गुगतान होने दिया जाएँा, जो वितियว 47 के उप-विनियम (ओ) के अधीन निलंबित कर्मचारी को अनुजेय हो।
22. पुनःसंख्यांकित विनियम 46 के मौजूदा उप-विनियम (2) तथा (3) में दिए गए शब्द 'सक्षम प्राधिकारी' को अनुशासनिक प्राधिकारी' से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
23. मौज़दा विनियम 46 को भी विनियम 47 के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएमा और उसके उप-विनियम (1). (2) तथा (3) को निम्नलिखित उप विनियम (अ). (आ), (इ). (ई). (5) तथा (ऊ) रो प्रतिस्थापित किया जाएग्गा .

## " 47 - दंड

अ. अन्य विनियमों के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जो कर्मचारी लघु उव्योग बैंक के विलियमों को भंग करता है अथवा जो लापरवाही. अकार्यकुशलता या अकर्मण्यता का प्रदर्शन करता हैं, अथवा जो जानब्झकर लघु उदोग बैंक के हितों के प्रतिकूल कोई कार्य करता है अथवा बैक के अनुदेशों के किन्द्र काई कार्य करता है अथवा जो अनुशासत अंग करता है अथवा जो किसी अन्य दुराचरण का दोषी है. उस पर लिम्नार्नार्ता द弓 लगाए जा सकेंगे :

## खोटे दंड

(क) भर्त्सना,
(ख) संचयी प्रभाव सहित या उसके बिना वेतनवृद्धियों को रोकनाः
(ग) पदोन्नति रोकना;
(घ) संचयी प्रभाव के बिना तथा कर्मचारी की पेंशन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किए बिता 3 वर्ष से अर्नधिक की अवधि हेतु येतन के समय मान में निम्नतर स्तर पर अवतति
(ड) कर्मचारी द्वारा लघु उयोग बैंक को वहुंचाई गई आर्थिक हानि की सपूर्ण राशि अथवा उसके भाग की वेतन से वसूली
बडे दंड
(च) उपर्युक्त खंड (घ) में दिए गए प्रावधान को छोडकर, विनिर्दिष्ट अवधि के लिए बेतन के सगय मान में निम्नतर स्तर में अवनति, जिसमे आगे ये निदेश भी हो कि ऐसी अवनति की अर्वधि के दौरान कर्मचारी वेतनवृद्धियाँ अर्जित करेगा अथवा नहीं और ऐसी अवधि की रामात्ति पर उत्त आधतति का उसकी गावी वेततवृद्धियों को स्थ्नगेत करने का प्रभाव होग। या नहीं :
(छ) निम्नतर. ग्रेड या पद पर अवनति
(ज) अनिवार्य सेवानिवृति
(झ) सेवा से हटाया जाना, जो लधु उद्योग बैक में भविष्य में नियोजन हेतु अनहता नहीं होगी
(अ) बर्खास्तगी, जो साधारण रूप से भावी नियोजन हेतु अनहता होगी।
स्पष्टीकरण - निम्नलिखित को इस विनियम के अर्थ में दंड नहीं माना जाएगा
(i) समय मान में दक्षतारोध पर किसी कर्मचारी का वेतन, दक्षतारोध पार करने की उसकी अनुपयुकता के आधार पर रोकता.
(ii) कर्मचारी को, चाहे स्थानापन्न हैसियत मे अथवा अन्यशा ऐसे उच्चतर गेड़ या पद पर पदोन्जाते द। देना, जिरके लिए वह विचार किए जाने हेतु पात्र हो, कितु उसके मामले पर विचार करते के बाद जिसके लिए वह अन्युपयुकुक पाया जाए।
(iii) उच्चतर ग्रेड या पद पर स्थानापन्न हैसियत में कार्य कर रहे किसी कर्मचारी को, परीक्षण के बाद ऐसे उच्चतर येड या पद के लिए अनुपयुक्त पाए जाने क आधार पर अथवा प्रशासनिक आधारों पर जो कि उसके आचरण से जुछे हुए नहीं है. निम्नतर ग्रेड या पद पर प्रतिवर्तित करना :
(iv) किसी अन्य ग्रेड या पद पर परिवीक्षा पर नियुक्त कर्मचारी को नियुकि की शर्तो अथवा ऐसी परिवीक्षा को शासित करने वाले नियमों या आदेशों के अनुसार परिवीक्षा की अवधि के दौरान अथवा उसकी समाति पर उसके पिछले ग्रेड मे प्रतिवर्तित करना :
(v) निम्नलिखित रूप में सेवा की समासि
(क) परिवीक्षा पर नियुक्त कर्मचारी की परिवीक्षा की अवधि के दौरान अथवा उसकी समास्ति पर नियुक्ति की पत्ताँ अथवा ऐसी परिवीक्षा को शासित करने वाले नियमों या आदेशों के अनुसार सेवा की समासि :
(ख) किसी करार या संविदा के अधीन नियुक्ति से मिन्न अस्थायी हैसियत में नियुक्त कर्मचारी की, उस अवधि की समास्ति पर जिसके लिए उसे नियुक्त किया गया था अथवा उससे पूर्व, उसकी नियुक्ति की शर्तां के अनुसार. सेवा की समासि :
(ग) संविदा या करार के अधीन नियुक्त कर्मचारी की, ऐसी संविदा या करार की शत्तौ के अनुस़ार, सेया की समासि .
(घ) पद समात्त कर दिए जाने पर कर्मचारी की सेवा की समासि:
(vi) अधिवर्षिता की उग प्राप्त करने पर. ऐसी अधिवर्षिता को शासित करने वाले नियठों और आदेश के अनुसार कर्मचारी की सेवानिवृति
(vii) विनियम 20 और 21 के अधीन स्थाथी कर्मचारी के नियोजन की समासि
(viii) चिकित्सा आधार पर कर्मचारी के रोजगार की समात्ति, यदि वह लघु उदोग बैंक की सेवा मे बने रहने के लिए लघु उयोग बैंक के चिकित्सा अधिकारी द्वारा अनुपयुक्त घोषित किया जाता है।

आ. अनुशासनिक कार्यवाही सस्थित करने तथा दंड अधिरोपित करने का प्राधिकार

1. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक लधु उद्योग बैंक के कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित कर सकता है अथवा अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करने हेतु अनुशासनिक प्राधिकारी को निदेश दे सकता है।
2. अनुशासनिक प्राधिकारी स्वयं अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित कर सकता है।
3. अनुशासनिक प्राधिकारी अथवा उससे उच्चतर कोई प्राधिकारी किसी कर्मचारी पर इन विनियमों मे विनिर्दिष्ट दंडों मे से कोई दंड अधिरोपित कर सकता है । तथापि ऐसे मामलों में जहॉं उच्चतर प्राधिकारी अपीलीय प्राधिकाऱी है. उसे अनुशासनिक प्राधिकारी की तरह कार्य नहीं करना चाहिए।

इ. बड़े दंड अधिरोपित करने हेतु प्रक्रिया

1. विनियम 47 के 34 विनियम अ के खंड (च). (छ). (ज). (झ) तथा (ज) में वितिर्दिष दंडो में से कोई दंड अधिरोपित करने वाला आदेश इस 34 विनिमय के अनुसार जांच किए बिना नहीं दिया जाएगा।
2. जब कभी भी अनुशासनिक प्राधिकारी की यह राय हो कि किसी कर्मचारी के विरुद्ध कदाचार या दुर्य्यवहार के किसी लांखन की सच्चाई की जांच कराने के अन्धार हैं. तो वह स्वयं उसकी राच्चाई की जाँच कर सकता है, अथवा किसी अन्य व्यक्ति, जो लोक सेवक हो या रहा हो. (जिसे इसके पथात जाँच प्राधिकारी कहा जाएगा) को उसकी जाँच करने हेतु नियुक्त कर सकता है।
स्पष्टीकरण : जब अनुशासनिक प्राधिकारी स्वयं जॉच करेगा, तो इस उप विनियम के खंड 8 रो खंड 21 तक में उल्लिखित जाँच अधिकारी का आशय अनुशासनिक प्राधिकारी समझा जाएगा, जहाँ इन विनियमों में सदर्म से अपेक्षित हो।
3. जहां जाँच करना प्रस्तावित हो, वहॉ अनुशासनिक प्राधिकारी कर्मचारी के विस्द्ध अभिकथन के आधार पर निधित और सुस्पट्ट आरोप विरचित करेगा और आरोप की मदे, अभिकथत के कथन जिस पर वे आधारित हैं. उन दस्तावजों की सूची जिन पर वे निभर्भर हैं तथा ऐसे दस्तावेजों की प्रतियों और उन साक्षियों की सूची जित पर वे आंधारित हैं, के साथ लिखित रूप मे कर्मचारी को सूचित की जाएंगी और कर्मचारी से अपेक्षित होगा कि वह अनुशासनिक प्राधिकारी

द्वारा यिनिर्दिष्ट समय ( 15 दिन से अनधिक) के भीतर अथवा ऐसे विस्तारित समय के भीतर जो उक्त प्राधिकारी द्वारा मंजर किया जाए, अपने प्रतिवाद का लिखित कथन प्रस्तुत करे :

परंतु जहां कही दस्तावेजों की प्रतियाँ प्रस्तुत करना संभव न हो, अनुशासतिक प्राधिकारी कर्मचारी को ऐसे दस्तावेजों का निरीक्षण, इस हेतु विनिर्दिष्ट किए गए समय के भीतर, करने देगा।
4. कर्मचारी का लिखित कथन प्रात्त होने पर अथवा ऐसा कोई कथन विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्राप्त नहीं होने पर, अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा स्वयं जांच की जा सकती है अथवा यदि वह आवश्यक समझे तो इस उप-विनियम के खंड 2 के अंतर्गत इस प्रयोजन के लिए जाँच प्रधिकारी नियुक्त कर सकता है।

परंतु हो सकता है कि कर्मचारी द्वारा अपने लिखित कथन में स्वीकार की गई आरोप की मदों के संबध में जॉच करना आवश्यक न हो, किंतु ऐसे प्रत्येक आरोप पर इसके निष्कर्षो को अभिलिखित करना आवश्यक होगा।
5. अनुशासनिक प्राधिकारी, जहाँ वह जॉच प्राधिकारी नहीं है, जॉच प्राधिकारी को निम्नलिखित प्रेषित करेगा :
i. आरोप की मदों और कदाचार अथवा दुर्य्यवहार के लांछन के कथन की प्रति;
ii. कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवाद के लिखित कथन, यदि कोई हो, की प्रति,
iii. उन दस्तावेजो की सूयी तथा उन साक्षियों की सूयी जिनके द्वारा आरोप की मदों को सिद्ध करने का प्रस्ताव है.
iv. साक्षियों के कथनों, यदि कोई हों, की प्रति.
v. इस उप-विनियम के खंड 3 के अंतर्गत आरोप की मदों की सुपुर्दगी को साबित करने वाला प्रमाण,
vi. इस उप-विनियम के खंड 6 के अनुसार उपस्थापन अधिकारी' नियुत्त करने वाले आदेश की प्रति।
6. जहाँ अनुशासनिक प्राधिकारी स्वयं जॉच करता है अथवा जॉच करने के लिए कोई जॉच प्राधिकारी नियुक्त करता है. तो वह उसकी ओर से आरोप की मदों के समर्थन में मामला उपस्थापित करने के लिए, आदेश के जरिए. किसी लोक सेयक को नियुक कर सकता है, जो उपस्थापन अधिकारी' के रूप में जाना जाएगा।
7. अपने मामले में प्रतिवाद करने के लिए अधिकारी कर्मचारी किसी अन्य अधिकारी कर्मचारी की तथा श्रेणी 11 और IV का कर्मचारी किसी अन्य श्रेणी III और IV के कर्मचारी की सहायता प्रतिवाद सहायक के रूप में ले सकता है। तथापि वह उत्त प्रयोजन के लिए तब तक किसी विधि व्यवसायी को नहीं रखेगा, जब तक कि अनुशासनिक अधिकारी द्वारा नियुक्त उपस्थापन अधिकारी कोई विधि व्यवसायी हो अथवा अनुशासनिक प्राधिकारी ने मामले की परिस्थितियों को देखते हुए ऐसा करने की अनुमति दे दी हो।

नोट : अधिकारी कर्मचारी अथवा क्रेणी $111 / \hbar$ कर्गचारी किसी अन्य ऐसे अधिकारी कर्मचारी अथवा क्रेणी $111 / 1 \mathrm{~V}$ कर्मचारी की सेयाएं नहीं लेगा, जिसके पास दो र्लग्गित अनुशासनिक मामले हो, जिनमें वह प्रतिवाद सहायक हो।
8. (क) जांच प्राधिकारी लिखित तोटिस के जरिए वह दिन विदिर्दिह करगा जब कर्धचारी जाँच प्राधिकारी के इाअक्ष स्वयं हाजिर होगा।
(ख) जाँच प्राधिकारी द्वारा निर्धारित तारीख का कमंचारी नोटिस में विलिर्दिए समय स्थान और तारीख पर जाँच प्राधिकारी के समक्ष हाजिर होगा।
(ग) जाँच प्राधिकारी कर्मचारी से पूछेगा कि क्या वह दोषी होने का अभिवचन करता है या उसे कोई प्रतिवाद करना है और यदि वह आरोप की मदो मे से किसी का दोषी होने का अभिवचन करता है, तो जँच प्रगिकारी अभिवचन को अभिलिखित करेगा आभलेख पर हस्ताक्षर करेगा और उसपर संबंधित कर्मचारी के हस्ताक्षर लेगा।
(घ) जाँच प्राधिकारी आरोप का उन मदो. जिनके लिए संबधित कर्मचारी दोषी होने का अभिवचन करता है. के संबंध में दोषी होने का निष्कर्ष देगा।
9. यदि कर्मच़ारी दोषी होने का अभिवचन नहीं करता, तो जाँच प्राधिकारी मामले को बाद की तारीख के लिए स्थगित करेगा, जो कि 30 दिन से अधिक बाद की न हो अथवा ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर हो, जो जाँच प्राधिकारी द्वारा मंज्र की जाए।
10. यथा विनियम 47 के उप-विनियम इ के खंड 9 के अंतर्गत मामले को स्थगित करते समय जाँच प्राधिकारी यह आदेश भी अभिलिखित करेगा कि कर्मचारी प्रतिवाद तैयार करने के प्रयोजन से :
(i) उसको दी गई सूची में उल्लिखित दस्तावेजो का निरीक्षण यदि उसने पहले ही न कर लिया हो, तो तत्काल और किसी भी दशा में ऐसे आदेश की तारीख से 5 दिन से अनधिक की अवधि में पूरा करे, जैसा कि इस उपविनियम के खंड 3 के परंतुक में प्रावधान किया गया है।
(ii) जो दस्तावेज और साक्षी वह जाँच के लिए चाहता हो उतकी सूची प्रस्तुत करे.
(iii) आदेश के दस दिन के भीतर अथवा उपर्युक्त मद (ii) में उल्लिखित दस्तावेजों की खोज या प्रस्तुतीकरण के लिए जाँच अधिकारी जो अतिरिक्त समय दे (जोकि दस दिन से अधिक नहीं होना चाहिए) उसके भीतर नोटिस दे। टिप्पणीः मद (ii) में उल्लिखित दस्तावेजों और साक्ष्यों की जाँच की प्रासंगिकता संबंधित कर्मचारी द्वारा बताई जाएगी।
11. दस्तावेजों की खोज अथवा प्रस्तुतीकरण की सूचना मिलने के बाद जॉच प्राधिकारी उत्त सूचना अथवा उसकी प्रतियों को दस्तावेजों की अभिरक्षा अथवा दस्तावेजों को रखनेवाले प्राधिकारी के पास इस मॉग के साथ अग्रेषित करेगा, कि जिस तारीख को और जैसा वितिर्दिष्ट हो वह उत्त दस्तावेजो को पेश करे।
12. इस उप-विनियम के खण्ड 11 के अंतर्गत माँग प्रात्त होने पर, मँगाए गए दस्तावेजों की अभिरक्षा रखने अथवा दस्तावेजों को रखनेवाला प्राधिकारी उत्त दस्तावेजों को माँग में विनिद्दिष्ट तारीख. स्थान और समय के अनुसार जाँच प्राधिकारी के सामने पेश करने की व्यवस्था करेगा।
यह भी कि मँगाए गए दस्तावेज का प्रस्तुतीकरण सार्वजनिक हित अथवा लघु उयोग बैक के विरूद होगा तो उसकी अभिरक्षा रखने वाला या उनको रखनेवाला प्राधिकारी उनके संबंध में रियायत का दावा कर सकता है। उस स्थिति में उसे जॉच प्राधिकारी को तत्संबंधी सूचना देनी चाहिए।
13. जाँच के लिए निर्धारित तारीख को, जिन माखिक व दस्तावेजी प्रमाणों के ज़रिए आरोप की मदों को सिद्ध किया जाना प्रस्तावित हो वे अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा Нयवा उसकी. ओर से पेश किए जाएँगे। उपस्थापन अधिकारी द्वारा पेश किए गए साक्षियों से उपस्थापन अधिकारी प्रश्न पूछेगा और उन पर कर्मचारी द्वारा या उसकी ओर से प्रतिप्रश्न पूछे जा सकते हैं। साक्षियों से जिन बिन्दुओं पर प्रति-प्रश्न पूके जा चुके हैं उन बिन्दुओ पर उनसे पुन प्रश्न पूउने का अधिकार उपस्थापन अधिकारी को होगा, किन्तु किसी नए मामले पर नहीं। जाँच प्राधिकारी भी जैसे उचित समझ़ वैसे प्रश्र साक्षियो से पूळ सकता है।
14. मामला बंद होने से पहले, आरोप के समर्थन मे जॉच प्राधिकारी अपने विवेक से उपस्थापन अधिकारी को ऐसे साक्ष्य पेश करने की अनुमति दे सकता है जो आरोप पत्र में शामिल नहीं हैं या अपने आप नए प्रमाण ताने अथवा किसी भी साक्षी को दुबारा बुलाने या पुनः प्रश्न पुछने के लिए युला सकतता है। ऐसे मामले में रिकांड्ड करने से पहले कर्मचारी को दस्तावेजी प्रमाण का निरीक्षण करने, अथवा किसी ऐसे साक्षी से प्रति-प्रश्न पूखने का मौका दिया जाएगा जिसको इस प्रकार बुलाया गया है। जाँच प्राधिकारी को यदि यह लगता हो कि किसी नए प्रमाण का प्रस्तुत किया जाना न्याय के हित में आवश्यक है तो वह कर्मचारी को नए प्रमाण प्रस्तुत करने की अनुमति भी दे सकता है।
15. जब आरोपों के समर्थन मे मामला बन्द हो गया हो, तब कर्मचारी से कहा जा सकता है कि वर गॉल.।, या लिखित, जिस रूप में चाहे अपना प्रतिबाद रखे। यदि प्रतिवादग मौखिक किया गया हो तो उसे अभिलिखित किया जाए और कर्मचारी से अपेक्षित होगा कि वह उस अभिलेख पर हस्ताक्षर करे। यदि कोई उपस्थापन अधिकारी नियुक्त किया गया हो तो दोनो ही स्थितियों में प्रतिबाद के कथन की एक प्रति उसे दी जाएगी।
16. तत्पथात् कर्मचारी की ओर से गवाह पेश किया जाएगा। कर्मचारी यदि चाहे तो अपनी ओर रो खुद गवाह से प्रश्न पूछ सकता है। इसके बाद, कर्मचारी द्वारा पेश किए गए साक्षी से कर्मचारी द्वारा प्रश्र पूठे जाऍँगे और उपस्थापन अधिकारी द्वारा उससे प्रति-प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अपने साक्षियो से उस किसी गी बिन्दु पर पुन. प्रश्न पूजने का कर्मचारी को अधिकार होगा, जिनपर उनसे प्रति-प्रश्र पूठे जा चुके है, किन्तु किसी नए मामले पर नहीं, जब तक कि जाँच प्राधिकारी ते उसकी अनुमति न दी हो।
17. कर्मचारी द्वारा अपनी गवाही बन्द करने के बाद, यदि कर्मचारी से आम तौर पर उप्वे सो प्रश्र नहीं पुछ्वाए हैं तो जॉच प्राधिकारी गवाही में उसके खिलाफ जा रही परिस्थितियों के संबंध में प्रक्ष पूछ सकता है. जिसका उद्देश्य यह है किं कर्मचारी गवाही में अपने खिलाफ जा रही परिस्थितियो को स्पप्ट कर सके।
18. गवाही पेश करने की प्रकिया पूरी होने के बाद जाँच प्राधिकारी उपस्थापन अधिकरी (यदि नियुक्त हो) और कर्मचारी का पक्ष सुन सकता है अथवा यदि वे चाहते हों तो उन्हें अपने अपते माभलो को सक्षेप मे लिखकर गवाही पेश करने का काम पूरा होने की तारीख से 15 दिन के भीतर पेश करने की अनुमति दे सकता है।
19. यदि कर्मचारी इस उप-विनियम के खड 3 मे उल्लिखित प्रतिवाद का कथन इस उद्दे, ग हूु तानिर्दिए तारीख को या उससे पहले पेश नहीं करता अथवा व्यक्तिगत रूप से या प्रतिवाद सहायक की राहायता रो या ये गु है। मे पेश कहीं होता अथवा इन विनियमों के किसी भी प्रावधान का पालन करने से इनकार करता है तो जॉच पाधिकाईी गक-पदीय जाँच कर सकता है।
20. जब किसी जाँच में कोई जाँच पाधिकारी गवाहां को पूरी तरह या आशिक रुप त गुनन $\mathrm{m} / \mathrm{R}$ रिफॉई फरने के बाद वहॉॉ के अधिकार-क्षेत्र से हट जाता है. और उसके स्थान पर कोई अन्य ऐसा जाँच प्रानिकाी मा जाता है जिसका ऐसा अधिकारक्षेत्र हैं और जो उसका उपयोग करता है, तब इस प्रकार आनेवाला जाँच प्राधिकारी उपदते पूर्वर्तर्ती द्वारा रिकांड किए गए साक्ष्य पर अथवा आंशिक रूप से पूर्ववर्ती द्वारा रिकांई की गई और आंशेक रूप से रव्य क्वारा Rिकाट किए गए साक्ष्य पर कारवाई कर सकता है।
21. (i) जाँच संपन्न होने के बाद जॉच प्राधिकारी एक रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसमे लिम्तालिखित का समावेश होग।:
(क) आरोप की मदों का सारांश और कदाचार अथवा दुव्यववहार के लाछत का ऊथन
(ख) आरोप की प्रत्येक मद के संबंध में कर्मचारी के प्रतिवाद का सारांश
(ग) आरोप की प्रत्येक मद के संबध में पतिवाद का मूल्यांकन
(घ) आरोप की प्रत्येक मद के संबंध गें निष्कर्ष और उनके कारण
स्पष्टीकरणः यदि जाँच प्राधिकारी की राय में जाँच की कार्यवाही मे आतरोप की मूल गद से इतार कोई आगोप को गदद प्रमाणित होती हैं तो वह ऐसे आरोप की मद के संबंध में अपने निष्कर्ष दर्ज कर सकता है।
यह भी कि आरोप की ऐसी मद से सबंधित निष्कर्ष तब तक दर्ज़ नहीं किए जाएंगे जब तक कर्मचारी ने उन तथ्यो को स्वीकार न किया हो जिन पर यह आरोप की मद आधारित है अथवा जब तक ऐसे आरोप की मद से अपना पतिवाद करने का उसे समुचित अवसर न मिला हो।
(ii) जहाँ जाँच प्राधिकारी स्वय अनुशासलिक प्राधिकारी नईं। है वहॉँ वह अनुशासचिक प्राधिकारी को जाँच के रेकाँड अग्रेजित करेगा, जिसमें निम्नलिखित का समावेश होगा-
(क) उसके द्वारा उपर्युक्त मद (i) के अंतर्गत तैयार की गई जॉच को रेपोर्ट,
(ख) इस 34 -विनियम के खंड 15 मे उल्लिखित कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत लिखित प्रतिवाद कशन, यदि कोई हो,
(ग) जाँच के दौरान पेश किए गए मौखिक और दस्तावेजी प्रभाण,
(घ) इस उप-विनियम के खंड 18 में संदर्भित संक्षित्र लिवरण, यदि कोई हो,
(ङ) जॉच के सबंध में अनुशासनिक प्राधिकारी तथा जाँच प्राधिकारी द्वारा जारी आदेश, यदि कोई हों।
ई. जॉच रिपोर्ट पर कारवाई

1. यदि अनुशासनिक प्राधिकारी स्वय ही जॉच प्राधिकारी न हो तो वह लिखित में कारण दज्ज करते हुए नए सिरे से अथवा आगे और जाँच तथा रिपोर्ट के लिए मामला जाँच प्राधिकारी को भेज सकता है और जाँच प्राधिकारी तत्पश्यात् आगे की जाँच विनियम 47 के प्रावधानो के अनुसार संपन्न करेगा।
2. यदि बडे दंड के लिए अनुशासनिक कार्यवाही हुई हो तो अनुशासनिक प्राधिकारी जॉच रिपोट्ट की एक प्रति संबंधित कर्मचारी को अग्रेषित करने की व्यवस्था करेगा और उस पर यदि वह देन्ना चाहें तो उसका अभ्यावेदन माँगेगा जो

रिपोट मिलने की तारीख से 10 दिन के भीतर अथवा जाँच प्राधिकारी द्वारा उचित समझे गए विस्तारित समय के भीतर मिल जाना चाहिए।
3 यदि संबंधित कमचारी ने कोई अभ्यावेदन दिया हो तो जाँच रिपोर्टे पर अपने निष्कर्ष रिकांड़ करते समय अनुशासनिक प्राधिकारी उस पर भी विचार करेगा।
4. यदि अनुशासनिक प्राधिकारी' किसी आरोपित अभियोग पर जॉच प्राधिकारी के निष्कर्षो रो असहमत हो तो वह ऐसी अमहमति के लिए कारण दर्ज करते हुए उक आरोप पर अपने निष्कर्ष रिकोर्ड कर सकता है. बशर्ते रिकॉंड में दर्ज प्रतिवाद इस उद्धेशय के लिए पर्यास हो।
5 यदि अनुशासनिक प्राधिकारी आरोप की सभी मदों अथवा किसी मद पर अपने निष्कष्षों के कारण यह मत रखता है कि काई दंड देने की आवश्यकता नहीं है, तो वह संबंधित कर्मचाऱी को ससम्मान दोषमुक घोषित करने का आदेशं जारी कर सकता है।

## 3. छोटा दंड देने की प्रक्रिया

1. जब विनियम 47 के विनियम अ के. खंड (क) से (ङ) में वितिर्दिए कोई छोटा दंड देने का प्रस्ताव हो तब कर्मचारी को उसके विरूद्ध दोष आरोपण की लिखित सूचना दी जाएगी और एक विनिर्दिष्ट अवधि में प्रतिवाद कथन देने का मौका दिया जाएगा। यह अवधि 15 दिन से अधिक अथवा अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा अनुमत विस्तारित अवधि से अधिक नही होगी। यदि कर्मचारी कोई प्रतिवाद कथन पेश करता है तो आदेश पारित करने से पहले अनुशासनिक प्राधिकारी उस पर विचार करेगा।
2. ऐसे मामलों में कार्यवाही के रिकोंड में निम्नलिखित का समावेश होगा-
i. कर्मचारी को दी गई अध्यारोपित लांख्य की एक प्रति
ii. कमघचारी का प्रतिवाद कथन, यदि कोई हो, और
iii. अनुशासनिक प्राधिकारी का आदेश और उसके कारण
3. जहॉ अनुशासनिक प्राधिकारी आथस्त हो कि जॉच किया आना आवश्यक है, वहॉ वह बडा दंड लगाने की व्रफ्रिया का पालन करेगा, जो विनियम 47 में दी गई है।
4. सामूहिक जाँच

उपर्युक विनियम 47 के उप विनियम इ, ई और उ अथवा किन्हीं अन्य विनियमों में किरी बात के होते हुए भी, यदि लघु उयाग *्रक क दो अथवा अधिक कर्मचारी फिसी धटनां में लित हैं तो ऐसे सभी कर्मचारियों पर बडा दंड लगाते मे मक्षम अनुशासनिक प्राधिकारी यह निर्देश देते हुए आदेश जारी कर सकता है कि उन सभी के विरुद्ध अनुशासनिक कारोवारेया सामूहिक जाँच के माध्यम से की जाएँ।
24. वियमान विनियम 46 के 34 विनियम (4) की संख्या बदलकर विनियम 47 का उप विनियम (ऋ) कर दी जाएगी और उसका शीषक 'जाँच करने का प्रत्यायोजन' होगा, तथा उसके बाद आनेवाले शब्दों सक्षम प्राधिकारी' का अनुशासनिक प्राधिकारी शन्द्वो से प्रलिस्थापित किया जाएगा।
25. बदली हुई संख्या वाले विनियम 47 के 34 विनियम (落) के बाट विम्नलिखित एप विलियम (ए) और (ऐ) जोड दिए जाएंगे-
".ल आदेशो की सूघना दिया जाना
विनियम 47 के उप-विनियम ई और 3 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, विनियम 47 के 34 -विचियम इ. ई उर 3 के अतर्गत अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा जारी आदेशों की सूचन्ता संबंधित कर्मचारी को सॉर रिपोटे की एक प्रति के साथ दी आएगी।

## ऐ. कुछ मामलो मे विशेष :्रक्रिया

तथ्यों अथना किसी न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर यदि कम्मारी पर काई मापराधिक आरोप सिद्ध हुआ हो तो विनियम 47 के उप विनियम इ, ई और 3 में किसी बात के होते हु भी अभुशासनिक पाधिकारी विनियम 47 के उप विनियम अ में विहित कोई दंड; लगा सकता है।

यह भी कि ऐसे मामलों में दिए जाते के लिए प्रस्तावित दंड के सबध में अभ्यावेदन्नःकरने का अवसर कर्मचारी को दिया जाना चाहिए।

विद्यक्रान विनियम 46 के उप विनियम (5) की संख्या बदलकर वितियम 47 का उप-किनियम (आ) कर दी जाएगी और इसका शीर्षक निलयन के दररान निवाह भता' है। 'इस विनियम के अतर्गत अतिम आदेश? पारित करने के प्राथिकारप्राप्त अधिकारी' तथा उसक बाद आने वाले अतिम आदेश पारित करनेवालाः अधिकारी' शब्दा'को अनुशासनिक प्राधिकारी' शब्दो से प्रतिस्थापित कर दिया गया है।
27. वियमान विनियम 46 के उप विनियम (6) की संख्या बदलकर विलियम 17 का उप विनियम (ओ) कर दी जाएगी और इसका शीर्षक अन्य मामले होगा और उसमें प्रयुत्त शब्दों अध्यक्ष तथा राक्षम प्राबिकरी को अनुगार्सदिक प्राधिकारीं शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
28. विद्यमान विनियम 46 के उप विनियम (6) के विद्यमान खंड (ii) में प्रयुक्त शब्दों इस संबध में अध्यक्ष द्वारा जैसा लिण्य किया जाए' को ‘जैसा उपयुक्त समझा जाए' शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
29. वियमान विनियम 46 के उप विनियम 6 के खंड (iv) में अंग्रेजी पाठ में प्रयुक्त शब्दों जाँच अधिकारीं को जाँच प्राधिकारीं शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
30. वियमान विनियम 46 के उप विनियम (6) के खंड (iv) मे प्रयुक्त केन्द्रीय सतक्रता आयाग शब्दों को केंद्रीय सतर्कता आयोग/अन्य प्राधिकारी से प्रतिस्थापित किया जाएगा तथा वियमान उप विनियम के अत में हालांकि वह उसके लिए बाध्यताकारी नहीं होगा' शब्द्दं को जोड़ टिया जाएगा।
31. विद्यमान विनियम 47 की राख्या बदलकर विनियम 48 कर दी जाएगी।
32. विद्यमान विलियम 18 की संख्या बदलकर विनियम 49 कर दी जाएगी और उसे निम्नलिखित विनियम 49 से प्रतिस्थापित किया जाएगा-

- 49-अपीलीय प्राधिकारी

अपीलीय प्रधिकारी को कोई अपील इसके साथ अनुबद्ध अनुसूची में विनिर्दिध रूप मों होगी।
33. विखमान विनियम 49 की रखं्या बदलकर विनियम 50 कर दी जाएंी उतर उसमे निम्नालीक 34 विलियम (च) को जोड दिया जाएगा:
-50- अपील के लिए अपेक्षित शतें
(च) यह जिस आदेश के विरुद्ध की जा रही हो) उराके तागील प्रििता कित जावे की तारीख कें 60 दिन कें भीतर अपीलीय प्राधिकारी को जानी वाहिए।
34. विद्यमान वितियम 50 की संख्या बदलकर विनियम 51 कर दी जत०ी अऔर बदनी हुई संख्र्या बाले विलियम 51 मे प्रयुक्त शन्ती सक्षम। वाधिकरी को अपीलीय प्राधिकारी शब्दो से पोनिरचाणि + किया आएगजा।
 लामान परण। किए जाने की जारीख के 60 दिन के गीतर शब्दो से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
36. विधवातन विनेयमग 51 की संख्या घंलकर विकेयम। 5 ? कर दी जाएगी और करामा प्रयुक राक्षम पाधिकारीं शब्दों को अपीलीय प्राधिकारों शब्दो से पतिर्यापित किया जालग।
 प्रतेक्यापित विंया जाएँा
"53- अपील सम्यक शीघ्रता रो उप्पीलीय प्राधिकारी को अग्रेषित की जाए

जो अपील विलियम 51 के अधीन रोकी न गयी हो, वह अनुशार्रानेक प्राधिकारी को आग्रेषित को जाएगी. जो उसे अपनी ग्रेप्पणियों के साथ यथाशीध्र अपीलीय पाधिकारी को प्रस्तुत करेगा।"
38. वियमान विनियमो $53,54,55$ और 56 की संख्या बदलकर क्रमश $54,55.56$ और 57 कर दी जाएगी।
39. विद्यमान विनियमों के अध्याय IV में निम्नलिखित विनियम 58 जोड़ा जाएगा:
"58- अपील पर अपीलीय प्राधिकारी की कारवाई
अपीलीय प्राधिकारी विचार करेगा कि निष्कर्ष युक्तिसंगत हैं या नहीं, अथवा दंड बहुत अधिक है या अपर्यात है और वह उपयुक्त आदेश पारित करेगा। अपीलीय प्राधिकारी दंड की पुष्टि करने, उसे बढ़ाने, कम करने या दंड हटाने अथवा मामले की परिस्थितियों के अनुसार जैसा उचित समझे वैसे निर्देश के साथ दंड लगानेवाले प्राधिकारी या किसी अन्य पाधिकारी को मामला प्रेषित कर सकता है।

परंतु .
(क) यदि अपीलीय प्राधिकारी ने कोड़ एरा दड लगाने का प्रस्ताव किया हो जो विनियम 47 कें $3 प$ विनियम अ के खड (च), (छ). (ज), (झ) और (अ) मे बिtनीति.श कोई बड़ा दंड हो और मामले में पहले कोई जॉच न हुई हो तो अपीलीय प्राधिकारी निर्देश देगा कि ऐसी जाँच इत विानघमो के अनुसार की जाए उतर तत्प्यात् जाँच के रिकाँड पर विचार करेगा और जैसे उचित समझेगा वैसे आदेश पारित करेगा।
(ख) यदि अपीलीय प्राधिकारी सज़ा में वृद्धि करने की तिर्णय करता है फिन्तु इन विनियमों के प्रावधान के अनुसार कोई जाँच पहले ही की जा चुकी है तो अपीलीय प्राधिकारी कर्मचारी को कारण बताओ नोटिस जारी करेगा कि उसपर बढा हुआ दंड क्यों न लगाया जाए और कर्मचारी द्वारा यदि कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया हो तो उस पर विचार करते हुए अंतिम आदेश पारित करेगा।"
41. विद्यमान विनियमों $57,58,59.60,61,62,63.64$ और 65 की संख्या बदलकर क्रमशः $63.64,65,66,67.68 .69,70$ और $7 ।$ कर दी जाएगी।
42. विनियम 66 की संख्या बदलकर जीान गम 72 कर दी जाएगी और मौजूदा विनियम 66 के 34 विनियम 7 के अंतर्गत 'अधिकारियों के मामले में अट्यक्ष द्वारा और अन्य कर्मचारियों के मामले में उप महाप्रबन्धक द्वारा' शब्दो को सक्षम प्राधिकारी’ शब्दो से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
43. विद्यमान विनियमों $67,68,69,70,71,72,73,74,75,76$ और 77 की सख्या बदलकर क्रमशः विनियम 73,74 , $75,76,77,78,79,80,81,82$ और 83 कर दी जाएगी।
44. विव्यमान विनियम 78 को हटा दिया जाएगा।
45. वियमान विनियमों $79,80,81,82$ और 83 की संख्या बदलकर क्रझशः $84,85,86,87$ और 88 कर दी जाएगी।
46. विद्यमान विनियम 84 की संख्या बदलकर विनियम 89 कर दी जाएगी और उसके मौज़्रा रुप विनेयम (1) को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगाः
श्रेणी । के कर्मचारियों के मामले में साधारण छुट्टी के लिए आवेदन सामान्यत जिस तारीख रो छुट्टी की जरूरत हो उससे कम से कम एक क्लेर गार पहले प्रस्तुत किया जाएगा। श्रेणी-1 कमेचारियों से इतर कर्मचारियों के मामले में जिस तारीख से साधारण छुट्टी आपोथोत हो. उस तारीख से सामान्यतः एक महीने पहले छुट्टी का आवेदन प्रस्तुत किया जाए।
47. विद्यमान विनियमों $85,868788,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103.104$. $105106,107,108$ और 109 की संख्या बदलकर क्रमशः विनियम 90. 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, $101102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113$ और 114 कर दी जाएगी।
48. विनियम 114 के बाद निम्नलिखित अनुसूची जोड़ी जाएगी:

अनुसूची

| नाम/पद का वर्ग | अनुशासनिक प्राधिकारी | अपीलीय प्राधिकारी |
| :---: | :---: | :---: |
| श्रेणी III/IV कर्मचारी और ग्रेड ए (सहायक प्रबधक) व बी (पबंधक) अधिकारी | महापबंधक मातव ससाधन विकास विभाग | मासंविवि देख रहे कार्यफलक निटेशक |
| ग्रेड सी (सहायक महापरंधक) वा दी (उप महाप्रबंधक) अधिकारी | मुख्य गहाम्यधक मानव रांसाधेत विकास विभाज |  |
| ग्रेड ई (महाप्रबंधक) अधिकारी | मानव रांसाधन विकास विभाग दैख रहे कार्यपालक निदेशक |  पबंध् निदेशक वा रांतात्या का उपयोग कर रहे 34 प्रबंध दिटेशेक |


|  |  | रहे उप प्रबंध निदेशक |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| ग्रेड एफ (मुख्य महाप्रबंधक) <br> अधिकारी | मानव संसाधन विकास <br> विभाग देख रहे उप प्रबध | निदेशकों की समिति/ <br> निदेशक मंडल |
| कार्यपालक निदेशक | निदेशक |  |
| अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/ <br> अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक <br> की शक्तियों का उपयोग कर <br> रहे उप प्रबंध निदेशक | निदेशक मंडल |  |

## टिप्पणियाँ जो अनुसूची का हिस्सा हैं

विनिर्दिष्ट अनुशासनिक , अपीलीय प्राधिकारी से उच्चतर कोई पशिकारी अनुशासनिक/ अपीलीय प्राधिकारी की शक्तियो का उपयोग करने का अधिकार रखता है। किन्तु जिन मामलों में उच्चतर प्राधिकारी अपीलीय प्राधिकरी है, उसे अनुशासनिक प्राधिकारी के रूप मे कार्य नहीं करना चाहिए।

दण्ड देने में सक्षम अनुशासनिक प्राधिकारी भष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत अभियोजन की अनुमति प्रदान करने में सक्षम प्राधिकारी भी होगा और उस ग़ेड के कर्मचारी के संबंध मे सभी अनुशासनिक निर्णयों के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा।

देबाशीष घोष, मुख्य महाप्रबंधक
[सं. विज्ञापन III/4/139-ए/II/असा.]

प्रमाणित किया जाता है कि लघु उद्योग बैंक के निदेशक मंडल ने 09 नवंबर 2011 को लखन में आयोजित अपनी बैठक में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (स्टाक) (संशोधित) विनियमावली 2011 को अनुमोदित एवं अंगीकार किया।

# SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA <br> NOTIFICATION 

## Lucknow, the 24th January, 2012

F. No. HRDD No. 3716/Staff General (2).-In exercise of the powers conterred by sub-section (1) of Section 52 of the Small Industries Development Bank of India Acl. 1089 (39 of 1989), the Boald of Direclors of the Small Industries Development Bank of India hereby makes the following amendments in the Small Industries Developmenh Bank of India (Staff) Regulations. 2001 namely

1. These Regulations shall be called the Small industries Development Bank of India (Slalf) |Ami:ndment! Regutations. 2011 and shall come into force from the date of publication of this notification
2. The existing sub-regulation (1) of Regulation 3 shall be renumbered as sub-regulation (d) of Regulation 3
3. The existing sub-regulations (a), (b). (c). (d) and (e) of Regulation 3 shall be remumbered as sub regulations (b). (c). (d). (e) and (f) of Regutation 3.
4. The existing sub-regulation (f) of Regulation 3 shall be substifuled with the following
"3(g) "Competent Authonity" means the detegated authonty approved by the Board for the purposes of these Regulalions. other than that specified as Disciplinary Authority and Appellate Authorky in the Schedulc amexed herelo
5. In Regulation 3 after sub-regulation (g). the following sub-regulation ( h ) shall be inserted:
"3(h)
(1) "Disciplinary Authonty" means the authority specified io the Schedule which is competent to impose on an employee any of fhe penalties specified in Regulation 47 and is the delegated authorify for the purposes specified under Chaptor IV of these Regulations
(ii) Appellate Authonity means the authonty specilied in the Schedtic and is thre dekegated authonly for the purposes specified under Chapter iV of these Regulations
6. The existing sub-regulations (g). (h). (i). (j) and (k) of Regutatiun 3 shall be renumbered as sub regulations (i). (i). (k). (i) and ( m ) of Regulation 3.
7. The following sub-regulations $(\mathbf{n})$ and $(0)$ shall be inserted after sub-regutation renumbered as $(\mathrm{m})$ of Requlation 3.
"3(n) "Public Servant' means a person defined as pubtic servant in Sechon 21 of the Indian ''conal Code (15 of 1860).
3(0) "Schedule" means the schedule appended to these Regulations.
8. The existing sub-regulations (m) and ( $n$ ) of Regulation 3 shalt be renumbered as sub regulations $(p)$ and $(q)$ of Regulation 3
9. The words "Regutations 20.21. 46 and 48 " appearing under Regulation 5 shall be substituted with the words "Regutations 20 and $21^{\prime \prime}$.
10. The following shall be inserled after the words "Class I officers" appearing under sub-regulation (1) of Regulation 7 :
(Privale Secretary/Execulive Secrefary. Assistant Manager in Grade A: Manager in Grade B. Assistant General Manager in Grade 'C. Deputy General Manager in Grade ' $D$ : General Manager in Grade $E$ ' Chief General Manager in Grade 'F' \& Execulive Director, or such other name/designation as may be decided by fhe Chairman and Managing Director from time to time)
11. The words "Chairman in the case of an oficer and to the Chiel General Manager in other cases" and the words "Chairman or the Chief General Manager" appearing in sub-regulation (1) of Regulation 20 shall be substituted with the word "Competent Authority"
12. The following proviso shall be added at the beginning of the sub-regulation (2) of Requitation 20

Where the Small Industnes Bank is satisfied that the performance of an employee is unsatislactory or indrequate or there is a bonafide suspicion about his integnty or that his retention in the service would be prejudicial to min mberesis of the Small industries Bank, and where it is not possible or expedient to proceed aganst him as per the discipimany plocedure."
13. The foltowing proviso shall be added al the end of sub-regulation (2) of Regulation 20:
"Further provided that the affected employee shall be entilted to appeal against any order passed under this Regulation by prefernng an appeal within 45 days to the Board of Directors of the Small Industries Bank. If the appeat is allowed. the order under this Regulation shall stand cancelled

Funther provided that where an employee whose services have been terminated and who has been paid an amount of three months substantive pay in lieu of notice penod and on appeal his termination is cancelled, the amount paid to htm in lieu of notice period shatl be adiusted against the salary that he woutd have earned, had his service not been terminaled and he shall continue in the service of the Small Industries Bank on same terms and conditions as if the order of termination had not been passed at all

An employee whose services are terminated under this Regulation shall be paid Gratuity Provident Fund including employer's contribution and atl other terminal benefits that may be admissible to him"
14. The following proviso shall be added at the end of sub-regulation (2) of Reguiation 21,
"Provided further that belore retinng an empioyee, prior to the date of superannualton, at heast 3 months notice in writing or an equivalent to 3 months' pay shall be given to such employee

Provided further that an employee aggrieved by the order as provided above may. within 45 days of passing of order. give in writing a representation to the Board of Directors against the decision and on roccipt of such representation from the concemed officer, the Board of Directors shall consider his representation and lake a decision within a perion of 3 months Where the Board of Directors decide that the order passed is not fustficed the conecrned officer shall be reinstated as though the order was not passed."
15. The word Chairman' appearing in sub-regulation (9) of Reguation 21 shall be substituted with the word Disciplinary Authonfy' The words 'under Regulation 45 or sub-regulation (5) of Regulation 46' appearing in line 2 of Explanation under sub-regulation 9 of Regulation 21 shall be deleted Further, the words 'Regulation 46' appearing in line 5 of Explanation under sub-regulation 9 of Regulation 21 shall be substituted with the words 'Regulation 17 '
16. The Regulation 23 shall be substituted with the following .

## "23-Seniority

(1) From time to time, the Small industnes Bank shall prepare a list of Officers in its service showing their names in the order of their seniority on an all India basis and containing such other particutars as the Smail Industries Bank may determine.
(2) Senionty of an Officer in a grade or scale shall be reckoned with reference fo the dafe of his confirmation in that grade or scale. Where there are two or more such Officers of the same length of service in that grado or scate and not contirmed in thaf grade or scate, their inter-se senionty shall be reckoned with reference to their senionty in the immediately preceding grade or scale or the previous cadre to which they betonged in the Small Industrics Bank's service. as the case may be
(3) The inter-se senionity of employees directly recruited in a batch to any grade or scale shail be reckoned with relerence to the rank allotted to them at the time of such recruitment
(4) If rank has not been allotted to the employees recruifed in a batch. their seniority shall be reckoned considering the date of their joining. in case of same date of joining, seniority would be considered based on senionty of age in case of similarity on both the above counts, the Competent Authonity would decide the senionity based on educational qualificalion or such other factors as deemed fit.
(5) In the case of an employee whose probation has been extended, his seniurity shall be reckoned jusl below the lust confirmed employee in the same grade or scale
(6) It shall be the responsibility of the employec fo draw attention immediatcly to any mistake, which he may nolice in the senionly list.
(7) Notwithstanding anything contained in these Regulations the semority of an officer tranee / trainee, on his absorption in the regular service of the Smalt indusfries Bank, shall be determined / fixed as per the terms of his appoinfment as officer framee / tramee.
17. The Regulation 31 shall be substituted with the following .

## "31-Prohibition against joining certain association and strikes etc.

(1) No employee, who is not a workman' within the meaning of the Industrial Disputes Act. 1941 shall become or confinue fo be a member or office-bearer of or be otherwise directly or indircctly associaled with any triade union of employees of the Small Industries Bank who are 'workmen' withn the meaning of that Act. or a fecteration of such trade unons;
(2) In relation to an employee who is officialing in a higher grade or post which is not a grade or post of a 'workman' as aforesard, this Regulation shall also apply for so long as such employee is officiating in such higher grade or post:
(3) No employee shall resort fo, or in any way abet, any form of illegal strike or participate in any violent. unseemly or indecent demonstration in conneclion with any matter pertaining to the conditions of service of the employee or the conditions of service of any other employee of the Small Industries Bank."
18. The word competenl authonty appearing in sub-regulation (2) of Regulation 36 shall be substuted with the word 'Disciplinary Authority'.
19. The word 'competent authority' appearing in the sentence "such other penalty as the comyelent authority may deem fit to umpose" in sub-regulation (3) of Regulation 36 shall be substituted with the word 'Disuplinany Authority'
20. After Regulation 44, the following Regulation $\mathbf{4 5}$ shall be inserted :

## *45 - Prohibition of sexual harassment at workptace

No employee shall indulge in any acl of sexual harassment at work place
Every employee who is in charge of a work place shall take appropriale steps to prevent sexual harassment at work place
Explanation: For the purpose of this Rule. "sexual harassment" includes such unwelcome sexually determined behaviour (whether directly or otherwise) as -
(a) Physical contact and advances
(0) A demand or request for sexual favours.
(c) Sexually coloured remarks
(d) Showing pomography: or
(e) Any other unwelcome physical verbal or non-verbal conduct ola sexual nature"
21. The existing Regulation 45 shall be re-numbered as Regulation 46 and shall be renamed as "Suspension" Further, sub. regulation (1) thereat shall be substituted wilh the following sub-regulation

## 46-Suspension

(1) (i) An employee may be placed under suspension by the Disciplinary Authorily:
(a) where a disciplinary proceeding against him is contemplaled or is pending: or
(b) where a case against him in respect of any criminal offence is under investigation, inquiry or trial.
(ii) An employee shall be deemed to have been placed under suspension by an order of the Disciplinary Aulhonty
(a) with effect from the date of his detention, if he is detained in custody, whether on a cnminal charge or otherwise, for a penod exceeding forty eight hours.
(b) with effect from the datc of conviction if $m$ the event of a conviction for an offence he is sentenced to a term of imprisonment exceeding forty-erght hours and is not lorthwith dismissed or removed or compulsonly retired consequent to such conviction

Explanation. The penod ol forty-eight hours referred to in clause?(ii)(b) of this sub-regulation shall be compuled trom the commencement of the imprisonment affer the conviction and for this purpose intermillent periods uf impnsonment if any. shall be taken into account.
(iii) Where a penalty of dismissal, removal or compulsory retirement from service imposed upon an employee under suspension is set aside in appeal under these Regulations and the case is remitled for further inquiry or action or with any directons, the order of his suspension shall be deemed to have continued in force on and from the date of the original order of dismissal removal or compulsory retirement and shall remain in force until further orders.
(iv) Where a penally ol dismissat or removal or compulsory retrement from service imposed upon an employee under suspension is sel aside or declared or rendered void in consequence of or by a decision of court of law, and the Disciplnary Authorily on consideration of the circumstances of the case decided to hold further inquiry against him on the allegations on which the penally of dismissal. removal or compulsory retrement was originally imposed, the employee shall be deemed to have been placed under suspension by the Disciphnary Authority Irom the date of the originat order of dismissa' removal or compuisory retirement and shall continue to remain under suspension until further orders.
(a) An order of suspension made or deemed to have been made under this Regulation shall continue to remain in force until it is modified or revoked by the Disciplinary Authorily.
(b) An order of suspension made or deemed to have been made under this Regulation may at any time be modified or revoked by the aulhority iwhich made or is dcemed to have made the order

In respect of such period, the employee shall be allowed the payment admissible to an employee under suspension under sub-regUlation (J) of Regulation 47

22 The word 'Competent Authonty appearing in the existing sub-regulations (2) and (3) of the renumbered Regulation 46 shall be substituted by the word 'Disciplinary Authorify'.
23. The existing Regulation 46 shall also be re-numbered as Regulation 47 and sub-regulations (1). (2) and (3) thereat shall be substifuted with the following sub-regulations (A), (B), (C), (D), (E) and (F):

## "47-Penalties

A. Without prejudice to the provisions of other Regulations, an employee who commits a breach of the Regulations of the Small Industries Bank, or who displays negligence, inefficiency or indolence, or who knowingly does anylhing detrimental to the interests of the Small Industries Bank ot in conflict with its instructions, or who commits a breach of discipline or is gutty of any other act of misconduct, shall be liable to the following penalties:

## Minor Penalties

(a) censure
(b) withholding of increments of pay with or without cumulalive effect.
(c) Withholding of promotion.
(d) reduction to a lower stage in the fime scale of pay for a pertod not exceeding 3 years without cumulative effect andnot adversely affecting the employee's perision.
(e) recovery from pay of the whole or part of any pecuniary loss caused to the Small Industries Bank by the employee

## Major Penalties

(f) Save as provided for in clause (d) above, reduction to a lower stage in the time scale of pay for a specified period. wifh further directions as to whether or not the employee will earn increments of pay during the period of such reduction and whether on expiry of such period the reduction will or will nol have the effect of postponing the future increments of his pay.
(g) reduction to a lower grade or post
(h) compulsory retirement,
(i) removal from service, which shall not be a disqualfication for future employment in fhe Small industries Bank
(i) dismissal, which shall ordinarily be a disqualification for future employment.

Explanation - The following shall not amount to penally within the meaning of this Regulation
(i) Stoppage of pay of an employee at the efficiency bar in a time scate. on the ground of his unfitness to cross the bar.
(ii) Non promotion, whether in an officiating capacity or otherwise. of an employer in a higher grade of post for which he may be eligible for consideration but for which he is found unsuital tha gter consideration of his case.
(iii) Reversion to a lower grade or post of an empioyee officiating in a higher grate uf post wit the ground that he is considered, after trial, to be unsuitable for such higher grade or post or (1) administrative grounds unconnected with his conduct.
(iv) Reversion to his previous grade or post, of an employee appointed on probalion to another grade or post, during or at the end of the period of probation, in accordance with the terms of appointment or rules or orders governing such probation
(v) Termination of service
(a) of an employee appointed on probation, during or at the end of the penod of probation, in accordance with the terms of his eppointment or the rules or orders governing such probation;
(b) of an employee appointed in a temporary capacily otherwise than under a contract or agreement on the expiration of the period for which he was appointed, or earlier in accordance with the temms of his appointment ;
(c) of an employee appointed under a contract or agreement, in accordance with the terms of such contract or agreement ; and
(d) of an employee on abolition of post ;
(vi) Retirement of an employes on his attaining the age of superannuation in accordance with the rules and order governing such superannuation;
(vii) Termination of employment of a permanent employee under Regulations 20 and 21,
(viii) Termination of employment of an employee on medical groünds, if he is declared unfit to continue in Small Industries Bank's service by the Medical Officer of Small IndusIries Bank
B. Aulhority to institute Disciplinary Proceeding and Impose Penalties

1. The Chairman and Managing Director may institute or direct the Disciplinary Authority to institute disciplinary proceedings against an employee of the Smail Industries Bank
2. The Disciplinary Authority may himself institute disciplinary proceedings
3. The Disciplinary Authority or any authonty higher than t. may impose any of the penalties specified in these Reguletions on any empioyee. However, in such of the cases where the higher authority is the Appellate Authority, he should not act as the Disciplinary Aulhority.

## C. Procedure for imposing major penaties

1. No order imposing any of the major penalties specified in clauses (f), (g). (h). (i) and (j) of sub-regulation A of Regulation 47 shall
be made axcept after an inquiry is held in accondance with this sub-regulation.
2 Whenever the Disciplinary Authority is of the opinion thal there are grounds lor inquiring into the truth of any imputation of misconduct or misbehavior against an employee t may itself enquire inlo. or appoint any other persori who is, or has been, a public servant (hereinatter relerred to as the inquiring authonity) to inquire into the truth thereof.

Explanation: When the Disciplinary Authonity itself holds the inquiry. any reference in clause 8 to clause 21 of this sub-regulation to the Inquinng Authonity shall be construed as a relerence to Disciplinary Authority, where the context in these Regulations require.
3. Where it is proposed to hold an inquiry, the Disciplinary Authonly shall frame definite and distinct charges on the basis of the allegations against the employee and the articles of charge, together with a statement of the allegations on which they are based, list of documents relled on along with copy of such documents and list of witnesses or which they are based, shall be communicaled in wnting to the employee, who shall be required to submit, within such time as may be specified by the Dusciptinary Authority (not exceeding 15 days). or within such extended lime as may be granted by the said Authority. a wnithen statement of his defence;
Provided that wherever it is not possible to fumish the copies of documen/s. Disciplinary Aulhority shall allow the employee inspection of such documents withn a time specified in this behalf.
4. On receipt of the written statement of the employee. or if no such stalement is received within the time specified, an Inquiry may be held by the Disciplinary Authonly itself, or if il considers it necessary to do so, appoint under clause 2 of this sub-regulation an Inquining Authority for the purpose
Provided that it may not be necessary to hold an inquiry in respect of the articles of charge admitted by the employee in his written statement but sha\# be necessary to record its findings on each such charge
5. The Disciplinary Authority shall. where it is not the inquinng Authority. forward to the Inquinng Authority.

1. a copy of the articles of charges and stalements of imputalions of misconduct or misbehavior:
ii. a copy of the written statement ol defence, if any, submitted by the employee.
iii. a list of documents by which and lisl of witnesses by whom the articles of charge are proposed to be substantiated;

| iv. | a copy of statements of the withesses it any |
| :---: | :---: |
| $v$. | evidence proving the detivery of the amicles of chargo tunden clause 3 ot this sith mequlifion |
| vi. | a copy of the ordet appointing the presenting Otheor mimms of ctimse 6 of this sub tegi |

6. Where the Disciplinary Authorily itself mquires or appunts an Inquing Muthouty lar hotding an mqury. tt may by an order, appoint a public servant to be known as the Presenting (Officer to present on its behatt the case in support of the articles of charge.
7. The officer emptoyee may take the assistance of any othe officer employne and an enployee in class $m \& / \mathrm{N}$ may take assistance of any other Class III \& IV empluyee as a Defense Assistan for defendmg his case the shatl, however, not engage a tegat practitioner for the sard purpose. untess the Piesenting Officet apponted by the Disciplinary Authonty is a legat practioner or the Disciphnary Authonity. having regard on the circumstances of the case so permits.

NOTE: The officer employee or Class IthN employee shatf not take the assistance of any other officer emptoyee or Class fflliv employee who has two pending disciplinary cases on hand in which he is the Defense Assistant
8. (a) The Inquiring Authority shall by notice in writing specify the day on which the employee shalt appear in person before the inquiring Authonity.
(b) On the date fixed by the Inquiring Authority. the employee shatl appear hetore the Inquing Authority al the time. place and date specificd in the notice
(c) The inquiring Authorty shalt ask the employee whether he pieads gulty or has any defence to make and if he pleads guity to any of the articles of charge the Inquring Authority strall record the pieas. sign the record and obtain the signature of the employee concerned thercon.
(d) The inquing Authority shafl return a finding of gutt in respect of those articies of charge to whith the employes concerned pleads guity
9. If the employee does not plead guilty. the Inquiring Authonty shall adfoum the caso to a later date, not exceeding 30 days or within such extended time as may be granted by the Inquining Authorry
10. The Inquiring Authonty. while adjourning the case as under Clause 9 of sub-regulation $C$ of 1 is uton 47. Shall atso record an order that the employee may for the purpose of prepaning defence
(i) complete inspection of the documents as in the fist furnished to him immediately and in any case not exceeding 5 days from the date of such order if he had nol done so earliar as provided for in the proviso to ctause 3 of this sub-regulation.
(ii) Submit a ist of documents and witnesses. that he wants for the inquiry:
(iii) give notice within ten days of the ordor or within such further time not exceeding ten days as the inquiring Authority may allow for the discovery or production of the documenls referred to in item (ii) hereinabove.

NOTE. The refevance of the documents and the exammation of the witnesses reforred to in item (ii) shall be given by the employee concerned.
11. The mquiring Aulhority shall on receipt of the notice for the discovery or production of the documents. forward. the same or copies thereof to the aulhority in whose custody or possession the documents are kept with a requition for the production of the documents. on such date as may be specified.

12 On receipt of the requisition under chause 11 or this sub-regutation the authority having the custody or possession of the requisitioncd documents, shatl arrange to produce the same before the finquiring Authority on the date, pface and time specified in the requisition.

Provided that the authority having the custody or possession of requisilioned documents may claim privilege if the production of such documents will be against the public interes! or the interest of the Smalt industries Bank in that case to inform the inquining Authority accordingly.
13. On the date fixed for the inquiry the oraf and documentary evidence by which the athicles of charge are proposed to be proved shalt be produced by or on behalf of the Disciptinary Authonty. The wilnesses produced by the Presenting Officer shatl be examined by the Presenting Officer and may be cruss-examined by or on behatf of the employee. The Presenting Officer shall be entitled to re-cxamine his witnesses on any points on which they have been cross examined but not on a new matter, without the feave of the Inguiring Aulhority. The Inquining Authority may atso put such questions to the witnesses as it thinks fit.

14 Before the chose of the case, in support of the charges the inquining Authonty may, in its discretion, allow the Presenting Officer to produce evidence not inctuded in the charge sheet or may itself call for new evidence or recall or re-examine any witness. in such case the cmployee shatl be given opportunity to inspoct the documentary evidence before $t t$ is taken on record or 10 cross-examine a wilness, who has been so
summoned The Inquing Authority may also allow the employee to produce new evidence if it is of the opinion that the production of such evidence. is necessary in the interests of justice
15. When the case in support of the charges is closed the employee may be required to state his defence, orally or in writing. as he may prefer. If the defence is made orally Il shall be recorded and the employee shall be required to sign the record. In either case a copy of the statement of defence shall be given to the Presenting Officer. if any. appointed.
16. The evidence on behalf of the employee shall then be produced. The employee may examine nimself in his own behalf. if he so prefers. The witnesses produced by the employee shall then be examined by the employse and may be cross-examined by the Presenting officer the employee shall be enlitied to reexamine any of his witnesses on any points on which they have been cross examined. but not on any new matter without the leave of the Inquiring Authority

17 The tnquiring Authonty may, after the employee closes his evidence. if the employen has not got himself examined generally. question him on the circumstances appearing agains! him in the evidence lor the purpose of enabling the employee to explain any circumstances appeaning in the evidence against him.

18 The Inquiring Authonty may--after the completion of the production of evidence, hear the Presenting Officer. if any appointed, and the employee or permit them to file wrilten briefs of the their respective cases within 15 days of the date of completion of the production of evidence. if they so desire.
19. If the employee does nol submit the written statement of defence referred to in clause 3 of this sub-regulation on or before the date specified for the purpose or does not appear in person or through the Defense Assistant or otherwise fails or refuses to comply with any of the provisions of these Regulations. the Inquiring Authonity may hold the inquiry ex-parte.

20 Whenever any Inquinng Authority, after having heard and recorded the whote or any part of the evidence in an inquiry, ceases to exercise jurisdiction therein, and is succeeded by another inquiting Authority which has, and which exercises, such jurisdiction, the inquining Authority so succeeding may act on the evidence so recorded by its predecessor, or partly recorded by its predecessor, and partly recorded by itself.
(i) On the conctusion of the inquiry the inquiring Authority shall prepare a report which shall contain the following:
(a) a gist of the articles of charge and the statement of imputations of misconduct or misbehaviour.
(b) a gist of the defence of the employce in respect of each antcle of charge.
(c) an assessment of the evidence in respect of each articte of charge.
(d) the findings an each article of charge and the reasons therefor.

Explanation: If, in the opinion of the Inquining Authonly, the procecodings of the Inquiry establish any anticle of charge different from the originat articie of charge. it may record its findings on such anticle of charge

Provided that the findings on such atticte of charge shall not be recorded uniess the employee has either admitted the facts on which such atricle of charge is based or has had a reasonable opportunity al defending himself against such article of charge:
(ii) The Inquiring Authonity, where it is not itself the Disciplinary Authority, shall forward to the Disciplinary Authority the records of inquiry which shall include .
(a) the report of the inquiry prepared by if under item (i) abovc;
(b) the written statement af defonce. if any. submilted by the employee reforred to in clause 15 of this sub-regulation:
(c) the oral and documentary evidence produced in the course of the inquiry
(d) written briefs referred to in clause 18 of this sub-regulation. It any.
(e) the orders, it any made by the Disciplinary Authurity and the Inquiring Authonty in regard to the inquiry

D Action on the Inquiry Report

1. The Disciplinary Authorily, if it is not itself the Inquiring Authonily, may for reasons to be recorded by it in wnting. remit the case to the Inquining Authanty for fresh or further inquiry and report and the Inquiring Authorily shall thereupon proceed to hold the further inquiry in accordance with the provisions of Regulation 47

* 2. In case the disciptinary proceedings have been heid for major penafty. the Disciptinary Authonity shatl arrange to farward a copy of the inquiry Report to the concemed employee and seek his representation if
any, thereon within 10 days of the date of receipt or such extended time as the Disciplinary Authority may doem fit.

3. While recording its findings on the Inquiry Report, the Disciplinary Authority will also take into consideration the representation, if any, received from the concemed employee
4. The Disciplinary Authority shall, if it disagrees with the findings of the Inquiring Authonty on any atticles of charge, record its reasons for such disagreement and record its own findings on such charge, if the evidence on record is sulficlent for the purpose.
5. If the Disciplinary Authority, having regard to its findings on all or any of the articles of charge is of the opinion that no penalty is called for, it may pass an order exonerating the empioyee concemed.
E. Procedure for imposing minor penalty
6. Where it is proposed to impose any of the minor penaities specified in clauses (a) to (e) of sub-regulation $A$ of Regulation 47, the employee concerned shall be informed in writing of the imputations of lapses against him and given an opportunity to submit his wntten statement of defence within a specified period not exceeding 15 days or such extended period'as may be granted by the Disciplinary Authority and the defence statement, it any. submitted by the employee shait be taken into consideration by the Disciplinary Authority belore passing orders

2 The record of the proceedings in such cases shall include
1 A copy of the statement of imputation of lapses furnished to the employee
ii. The defence statement, if any, of the employee: and
iii. The orders of the Disciplinary Authonty together with the reasons therefor
3. Where, however, the Disciplinary Authority is satisfied that an inquiry is necessary, it shall follow the procedure tor imposing a major penalty as laid down in Regulation 47.

F Common inquiry
Notwithstanding anything contained in sub-regulations C, D and E of Regulations 47 above or in any other Regulations, if two or more employees of the Small Industries Bank are involved in an incident. the Disciplinary Authonty competent to impose major penalty on all such employees may make an order directing that disciplinary proceedings against all of them may be taken in a common inquiry.
24. The sub-regulation (4) ot existing Regulation 46 shalt be re-numbered as sub-regulation ( $\mathcal{B}$ ) of Regulalion 47 and carry the heading of 'Delegating holding of Inquiry' and the word 'Competent Muthority' appearing thereat shall be substituled with the word 'Disciplinary Authority'.
25. After sub-regulation $(G)$ of re-numbered Regulation 47 , the following sub-regulation $(H)$ and (I) shall be inserted :
H. Communication of Orders

Subject to the provisions of sub-regulations D \& E of Regulation 47, orders made by the Disciplinary Authority under sub-regulations C, D and E of Regulation 47 shall be communicated to the employee concemed along with a copy of the report of inquiry
t. Special Procedure in certain cases

Notwithstanding anything contained in sub-regulation C, D and E of Regulation 47. the Disciplinary Authority may impose any of the penalties specified in sub-regulation A of Regulation 47. if the employee has been convicted on a cnminal charge, or on the strength of facts or conclusions arrived at by a judicial trial.

Provided that in such cases, the employee may be given an opportunity of making representation on the penalty proposed to be imposed before any order is made.
26. The sub-regulation (5) of existing Regulation 46 shall be re-numbered as sub-regulation (.) of Reegulation 47 and carry the heading of 'Subsistence Allowance during suspension' and the words 'officer empowered to pass the finat order under this Regulation' and 'officer who passes the final order' appearing thereat shall be substituted with the word 'Disciplinary Authonty'
27. The sub-regulation (6) of existing Regulation 46 shall be re-numbered as sub-regulation ( $K$ ) ol Regulation 47 and carry the heading of 'Other malters' and the words 'Chairman' and 'Competent Authonty' appearing thereat shall be substituled with the word 'Disciplinary Authority'.
28. The words as may be decided by the Chairman in this behalf appearing in clause (ii) of existing sub-regulation (6) of existing Regulation 46 shall be substiluted with the words as may be deemed lit
29. The word Enquiry Officer appearing in clause (iv) of existing sub-regulation (6) of existing Regulation 46 shall be substituted with the word 'Inquiring Authonty'
30. The words 'Centrat Vigitance Commission' appearing in clause (iv) of existing sub-regulation (6) of existing Regulation 46 shall be substituted with the words 'Centrat Vigilance Commission/other authonty' and the words 'though if may not be binding on ir' shall be inserted at the end of the existing sub-regulation.
31. The existing Regulation 47 shall be re-numbered as Regulation 48
32. The existing Regutation 48 shall be re-numbered as Regulation 49 and shall be substituted with the following Regulation 49 :

## "49-Appellate Authorities

An appeal shall lie to the Appellate Authority, as specified in the Schedule annexed hereto
33. The existing Regulation 49 shall be re-numbered as Regulation 50 and the tollowing sub-regulation (f) shall be added therelo:
"50-Conditions which an appeal should satisfy
(f) it shall be made to the Appellate Authority within 60 days from the datc of serviceldispatch of the order against which
the appeal is made the appeal is made.
34. The existing Regulation 50 shall be re-numbered as Regulation 51 and the word 'competent authonty' appearing in the renumbered Regulation 51 shall be substituted with the word 'Appeltate Authority'
35. The words 'six months of the date of order appearing in sub-regulation (e) of the re-numbered Regulation 51 shall be substituted with the words '60 days from the date of service / dispatch of the order'.
36. The existing Regulation 51 shall be re-numbered as Regulation 52 and the word competent authonty' appearing therein shall be substituted with the word 'Appetlate Authonty'.
37. The existing Regulation 52 shall be re-numbered as Regulation 53 and shall be substituted with the foliowing Regulation 53

## " 53 - Appeat must be forwarded to the appetfate authorities with due despatch

An appeal which is not withheld under Regulation 51. Shall be forwarded to the Disciptinary Authority who shall submit the same to the Appellate Authonty with his comments as soon as possible."
38. The existing Regulations 53,54,55 and 56 shall be re-numbered as Regulations $54,55,56$ and 57 respectively
39. The following Regulation 58 shall be inserted in Chapler IV of the existing Regulations:

## -58 - Appeftate Authority's action on the appeal

The Appellate Authonty shall consider whether the findings are justified or whether the penally is excessive or inadequate and pass appropriate orders. The Appettate Authonty may pass an order confirming. enhancing. reducing or setting aside the penalty or remitting the case to the authonity which imposed the penalty or to any other authonity with such direction as it may deem fit in the circumstances of the case.

## Provided that: -

(a) If the enhanced penalty which the Appetlate Authonty proposes to impose is a major penalty specified in clauses ( $f$ ). (g), (h). (i) and (j) of sub-regulation A of Regutation 47 and an inquiry has not atready been hetd in the case, the Appeliate Authonty shall direct that such an inquiry be held in accordance with these Regutations and thereafter consider the record of the inquiry and pass such orders as it may deem proper.
(b) If the Appeltate Authonty decides to enhance the punishment but an inquiry has atready been held as provided in these Regulations. the Appellate Authonty shaft give a show-cause notice to the employee as to why the enhanced penalty should not be imposed upon him and shatl pass final order. after taking into account the representation, if any. submifted by the employee."

## Section 3

## 59-Consultation with Central Vigilance Commission

The Small Industries Bank shall consult the Central Vigilance Commission wherever necessary, in respect of all disciplinary cases having a vigilance angle

60 - Service of orders, notices, etc.
Every order, notice and other process made or issued under these Regulations shall be served in person on the employee concerned or communicated to him by registered post at his last known address

## 61 - Power to relax time limit and to condone delay

Save as otherwise expressly provided in these Regulations, the authonty competent under these Regulations to make any order may, for good and sufficient reasons or if sufficient cause is shown, extend the time specified in these Regulations for any thing required to be done under these Regulations or condone any delay.

## Regulation 62 -Saving

Notwithstanding the modifications made by Small industries Development Bank of India (Staff) Amendment Regulations. 2011.
(a) any order made or action laken under the provisions so modified shall be deemed to have been made or laken under the corresponding provisions of these modified Regulalions and any such modification or amendment shall be without prejudice to the validity of anything done previously under these Regulations;
(b) Nothing in these modified Regutations shall be construed as depnving any person to whom these modified Reguletions apply. of any right of appeal which had accrued to him under any of the provisions so modified;
(c) An appeal pending at the commencement of these modified Regulations against an order made before the commencement of these modified Regulations shall be considered and orders thereon shall be made in accordance with these Regulations:
(d) Any proceedings which have already been initialed but not yet been completed at the commencement of these modified Regulations shall be continued and disposed as far as may be, in accordance with the provisions of these modified Regulations, as if such proceedings were under these modified Regulations:
41. The existing Regulations $57,58,59,60,61,62,63,64,65$ shall be re-numbered as Regulations $63,64,65,66,67,68,69$, 70 and 71 respectively.
42. Regulation 66 shall be re-numbered as Regulation 72 and the words Chairman in the case of officers and by the Deputy General Manager in other cases' under sub-regulation 7 of the existing Regulation 66 shall be substituted with the words 'Competent Authority'.
43. The existing Regulations $67,68,69,70,71,72,73,74,75,76$ and 77 shall be re-numbered as Regulations $73,74,75,76$, $77,78,79,80,81,82$ and 83 respectively.
44. The existing Regulation 78 shall be deleted.
45. The existing Regulations $79,80,81 ; 82$, and 83 shall be re-numbered as Regulations $84,85,86,87$ and 88 respectively.
46. The existing Regulation 84 shall be re-numbered as Regulation 89 and the existing sub-regulation (1) thereat shall be substituted with the tollowing :

In the case of all the employees in Class I, applications for ordinary leave shall ordinarily be submitted at least one clear calendar month before the date from which leave is required In the case of employees other than employees in Class 1 . applications for ordinary leave shall ordinanily be submitted at least one month before the date from which leave is required.
47. The existing Regulations $85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107$. 108 and 109 shall be re-numbered as Regulations $90,91,92,93,94,95,96.97,98,99,100,101,102,103,104,105$. 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 and 114 respectively.
48. The following Schedule shall be added after Reguiation 114;

Schedule

| Name / Category of posts | Disciplinary Authority | Appellate Authority |
| :---: | :---: | :---: |
| Class IIIIIV employees and Officers in Grades A (Assistant Manager) \& B (Manager) | General Manager, Human Resource Development Department (HRDD) | Executive Director (ED) looking after HRDD |
| Officers in Grades C (Assistant General Manager) <br> \& D (Deputy General Manager | Chiel General Manager, HRDD | Deputy Managing Director (DMD) looking after HRDD |
| Officers in Grade E (General Manager) | ED looking after HRDD | Chairman and Managing Director (CMD) / DMD exercising powers of CMD |
| Dfficers in Grade F (Chief General Manager) | DMD looking after HRDD | Committee of Directors / Board of Directors |
| Executive Directors | CMD / DMD exercising the powers of CMD | Committee of Directors / Board of Directors |

## Notes forming part of Schedule

Any authority higher than the one specified as Disciplinary / Appellate Authority above is empowered to exercise the powers of the Disciplinary / Appellate Authority. However, in such of the cases where the higher authority is the Appellate Authority, he should not act as the Disciplinary Authority.

The Disciplinary Authority competent to impose the punishment shall also be the Competent Authority to grant sariction for prosecution under the Prevention of Corruption Act and shall be the Competent Authority for all such disciplinary decisfors pertaining to that grade of employee.

# DEBASHIS GHOSH, Chief General Manager 

[ADVT. III/4/139-A/11-Exty.]

Certfied that the Board of Directors of Small Industries Bark, in its meeting held on November 09, 2011 at Lucknow, had approved and adopted the Small Industries Development Bank of India (Staff) [Amendment] Regulations, 2011.

